

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1547-ARYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 13TH KM STONE, JINDAL NAGAR, GHAZIABAD

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	30	30
2	ELECTRICAL ENGINEERING	30	30
3	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

-: कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सदा पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-12 में डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं की प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएँ जिनके द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संस्था में संचालित पूर्व पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में कमी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदत्त प्रवेश क्षमता के अनुसार परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई० /द्वारा सत्र 2019-20 अनुमोदित क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1547	कार्यन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, 13 किमी स्टोम, जिवल नगर, गाजियाबाद।	सिविल इंजी० इलेक्ट्रिकल इंजी० इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी० मैकेनिकल इंजी०	60 60 60 60	30 30 30 30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, संशोधित विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

**कार्यालय
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिध/परिषद सार्वजनिक/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 15-8-2019

-कार्यालय ज्ञाप-

अधिकांश प्रभारित संस्थाओं में शिक्षा सचिव द्वारा प्रेषित मंत्र 2019-20 हेतु विद्यमान एतद्विषय प्रस्तावों विषय में समस्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी एवं जिल्ला शिक्षा परिषद सदस्यों को सूचित किया जा रहा है। उक्त मंत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित विस्तार प्रदान किए जाने हेतु विभाग 14-8-2019 को प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संस्था में प्राथमिक शिक्षा सचिव के माध्यम से प्रेषित किया गया है। उक्त मंत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित विस्तार प्रदान किए जाने हेतु विभाग 14-8-2019 को प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संस्था में प्राथमिक शिक्षा सचिव के माध्यम से प्रेषित किया गया है। उक्त मंत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित विस्तार प्रदान किए जाने हेतु विभाग 14-8-2019 को प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संस्था में प्राथमिक शिक्षा सचिव के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

उक्त मंत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित विस्तार प्रदान किए जाने हेतु विभाग 14-8-2019 को प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संस्था में प्राथमिक शिक्षा सचिव के माध्यम से प्रेषित किया गया है। उक्त मंत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित विस्तार प्रदान किए जाने हेतु विभाग 14-8-2019 को प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संस्था में प्राथमिक शिक्षा सचिव के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

संलग्नक-3 में अंकित निजी दफ्तर में स्थित किसी स्तरीय संस्थाएं, जिनमें द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु ए0आईटीसी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है, और संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा परिषद से पूर्व से सम्बंध है, को सत्र में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सत्र 2019-20 हेतु द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु परिषद से सम्बंधित विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त विस्तार प्रदान किए जाने हेतु परिषद को निर्दिष्ट समिति एवं विवरण विस्तार द्वारा ही प्रेषित किया जायेगा। उक्त मंत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित विस्तार प्रदान किए जाने हेतु विभाग 14-8-2019 को प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संस्था में प्राथमिक शिक्षा सचिव के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

क्र. सं.0	संस्था का नाम	संस्था का पता	प्राथमिकता का वर्ग	ए0आईटीसी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
01	ए0आईटीसी0टी0ई0	ए0आईटीसी0टी0ई0	प्राथमिक शिक्षा	50	50
02	ए0आईटीसी0टी0ई0	ए0आईटीसी0टी0ई0	द्वितीय पाली	50	50
03	ए0आईटीसी0टी0ई0	ए0आईटीसी0टी0ई0	प्रारंभिक शिक्षा	50	50
04	ए0आईटीसी0टी0ई0	ए0आईटीसी0टी0ई0	प्राथमिक शिक्षा	50	50

संस्था हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आईटीसी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था सत्र 2019-20 में प्राथमिक शिक्षा सचिव द्वारा प्रेषित मंत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित विस्तार प्रदान किए जाने हेतु विभाग 14-8-2019 को प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संस्था में प्राथमिक शिक्षा सचिव के माध्यम से प्रेषित किया गया है। उक्त मंत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित विस्तार प्रदान किए जाने हेतु विभाग 14-8-2019 को प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संस्था में प्राथमिक शिक्षा सचिव के माध्यम से प्रेषित किया गया है।
- ✓ संस्था को ए0आईटीसी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित शर्तों का पूर्ण पालन करना होगा।